306

न्यायालय श्रीमान् समक्ष सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

निगरानी क्रमांक /2017

1. बाबू सिंह पिता रामसेवक राजपूत उम्र 58 साल
2. जयपाल सिंह पिता तोडन सिंह उम्र 35 साल

दोनो निवासी ग्राम बुधेडा तहसील अमानगंज

जिला पन्ना म0प्र0

आवेदक/निगरानीकर्तागण

निग0 1055-2/17

बनाम्

मध्यप्रदेश शासन

अनावेदक

30/3/17

30.3.17

30/3/17

निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय अमानगंज जिला पन्ना के रा0प्र0क्र0 48/अ-68/वर्ष 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 23.3.2017 से दुखित होकर ।

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

महोदय,

निगरानीकर्तागण का निम्न विनय है :-

यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार अमानगंज द्वारा निगरानीकर्तागण के विरूद्ध उसके विरोधी व्यक्तियों सरण गोपाल सिंह बगैरह से मिलकर हल्का पटवारी की असत्य रिर्पोट पर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 274, 275, 277 स्थित ग्राम बुधेडा तहसील अमानगंज जिला पन्ना म0प्र0 जिसका पट्टा 10 वर्ष के लिये अनुसूचित जाति मछुआ सहकारी समिति मर्यादित टांई तहसील अमानगंज़ जिला पन्ना म0प्र0 को दिया गया था उक्त भूमि पर निगरानीकर्ता द्वारा गेहू चना की फसल बोने से अर्न्तगत धारा 248(1) म.प्र.भू.रा.संहिता का एक राजस्व प्रकरण क्रमांक 48/अ-68/वर्ष

2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक–निगरानी–1015–एक/2017 — जिला–पन्ना

बाबूसिंह व अन्य विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा अभिभाषक उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार अमानगंज, जिला–पन्ना के प्रकरण क्रमांक 48/अ–68/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 23–03–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–पन्ना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 08–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन), सदस्य 11.3.19	